



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1948 (श10)

(सं० पटना 991) पटना शुक्रवार 14 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2026

एस० ओ० 193 दिनांक 14 अगस्त 2026—औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 एवं औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम-17 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन हेतु अपर श्रमायुक्त एवं सभी संयुक्त श्रमायुक्त को सत्यापन प्राधिकारी नियुक्त करते हैं। सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किसी औद्योगिक स्थापना में निबंधित ट्रेड यूनियनों के सत्यापन के लिए अपर श्रमायुक्त/किसी संयुक्त श्रमायुक्त को नामित कर सकेंगे।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025-192/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

12 अगस्त 2026

एस० ओ० 194 एस० ओ० 193 दिनांक 14 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025-193/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

SO 193 date 14th August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and sub-rule (1) of Rule 17 of the Industrial Relations (Bihar) Rules, 2026, the Governor of Bihar is pleased to appoint Additional Labour Commissioner and all Joint Labour Commissioners as Verification Authorities for the purpose of verifying trade union membership. Secretary/Principal Secretary/ Additional Chief Secretary shall nominate Additional Labour Commissioner/ any Joint Labour Commissioners for verification of Registered Trade Union in any Industrial Establishment.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

*(No. 01/IRC-10-03/2025–192/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 991-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>